मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/तौल/248/2024/ 109 **भोपाल, दिनांक** 20/**05/2024**

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - …………(समस्त)।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति - …………(समस्त)।

विषय - कृषि उपज की सही एवं शुद्ध तौल के संबंध में।

संदर्भ - कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2753-2754 दिनांक 30/05/2023।

कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज की सही एवं शुद्ध तौल सुनिश्चित कराना कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य में सम्मिलित है। मंडी समिति के दायित्वों (मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 17) में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है।

2. इस संबंध में मंडी समितियों के लिए उपविधि 2000 में उपविधि कंडिका 24 अंतर्गत तौल कांटों के निरीक्षण, सत्यापन के स्पष्ट प्रावधान है कि -

24(8)(1) मंडी प्रांगण में नियमन व्यवस्था हेतु नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन तौल प्रारंभ होने के पूर्व रैंडम तौल पर मंडी/बी.ओ.टी./ व्यापारियों के इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/ वेब्रिज का संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण की कार्यवाही को निरीक्षण पंजी में दर्ज कर उपस्थित पक्षकारो के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगें।

(2) नापतौल विभाग के प्रचलित नियमों के तहत मंडी प्रांगण में उपयोग होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक तौल कांटो/ वेब्रिज का सत्यापन (स्टांपिंग) कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. इस संबंध में पूर्व के निर्देशों/ प्रावधानों के क्रम में ही पुनः निर्देशित किया जाता है कि -

3.1. आगामी 15 दिवस की अवधि में अभियान चलाकर मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में स्थापित सभी तौलकांटों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में मंडी सचिव एवं आंचलिक अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। (आंचलिक कार्यालय द्वारा संकलित कर)

3.2. मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण में प्रतिदिन, उक्त उपविधि कंडिका 24(8)(1) के प्रावधानों का शब्दशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

3.3. तौल में गड़बड़ी संबंधी प्रकरणों का तत्परता से निराकरण तथा दोषी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। संदर्भित पत्र में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही जारी किए गए है।

4. आंचलिक अधिकारी तथा संभागीय निरीक्षण दल के द्वारा मंडियों में भ्रमण/ निरीक्षण के दौरान, तौल व्यवस्था का भी रैंडम तौर पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसमें आंचलिक कार्यालयों के स्तर से सतत समीक्षा भी आवश्यक है।

19/05/24

(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/तौल/248/2024/ 110 **भोपाल, दिनांक 20/05/2024**

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल